CIN:U40109RJ2000SGC016486
जेपीआर 5–745

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302008
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – c_comml@yahoo.com

क0 जेपीडी/अधी.अ.(वा.)/सी–I/एफ.4(392)/प्रे0 1900 जयपुर, दिनांक– 30/01/2015

आदेश

विषय – कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े हुये भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने के संबंध में।

कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिये कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" पूर्व में आदेश संख्या 1173 दिनांक 25.07.2012 (जेपीआर5–653) द्वारा 30 नवम्बर 2012 तक लागू की गई थी। इसके पश्चात यह योजना अध्यक्ष डिस्कॉम्स के आदेश क्रमांक 657 दिनांक 10.10.2014 के द्वारा 10 अक्टूबर 2014 से 09 जनवरी 2015 तक लागू की गई थी। इसी क्रम में **"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"** को निम्न प्रावधानों के अनुसार पुनः 10 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

1. ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हों, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढ़ाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
2. इस "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है यदि विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि जमा करवा कर भार नियमित किया जावे।
3. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते हैं किन्तु इसके लिये उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रूपये 2500/– प्रति हॉर्स पावर (अतिरिक्त बढ़े भार पर) देने होंगे।
4. यदि पद (3) में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं को बढ़े हुये भार पर प्रति एच.पी. रू0 (2500+ 2500) कुल रूपये 5000/– मात्र पैनल्टी जमा करानी होगी।
5. योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 के.वी. लाईन एवं सब–स्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

उक्त **"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"** की समाप्ति (31मार्च 2015) के पश्चात भार सत्यापन के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा।

आज्ञा से

(ए.के.सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

D/joshi/JPR-